राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प. 7 (185) परि/नियम/मु./98 / 34625 . जयपुर, दिनांक: 9/10/13

संयुक्त मुख्य निवार्चन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राजस्थान
जयपुर।

विषय:— चुनाव अभियान के दौरान सम्पति विरूपण को रोकने के संबंध में उपाय।

प्रसंग:— निर्वाचन विभाग, राजस्थान की अ.शा. टीप संख्या एफ.8(2)(12)निर्वा/2013/2888, दिनांक 21.06.1013 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक: 464/KT-LA/1013 दिनांक 02.05.2013 एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में, आगामी विधान सभा चुनावों के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया है:—

चूंकि मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा इसके अधीन निर्मित मोटर यान अधिनियम एवं नियमों में यानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरण लगाने को स्पष्ट रूप से निषेध नहीं किया गया है। अतः उक्त अधिनियम/नियमों के अन्य प्रावधानों, Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में उपलब्ध, विशेषतः यानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरण लगाने से संबंधित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में सिविल अपील संख्या 3735/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2005 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान राज्य में होने वाले चुनावों के दौरान, चुनाव कार्य के प्रयोजनार्थ वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

चुनावों के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु राज्य के समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें।

2/8/10

(उमराव सालोदिया)
परिवहन आयुक्त एवं
अति० मुख्य सचिव (परिवहन)

क्रमांकः प. 7 (185) परि/नियम/मु./98 जयपुर, दिनांकः ....

प्रतिलिपीः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति0 मुख्य सचिव (परिवहन)।
3. निजी सचिव, अति0 पुलिस महानिदेशक (यातायात), राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्यालय अधिकारीगण, समस्त।
5. समस्त अपर/संयुक्त/प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त पीठासीन अधिकारियों को, चुनावों के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जावे।
6. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. परिवहन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र को विभागीय वेब साईट पर अविलम्ब अपलोड किया जावे।
7. रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति निधि सिंह)
उप परिवहन आयुक्त (नियम)